प्रतिलिपि अनुभाग में प्रतिलिपियॉ प्राप्त करने हेतु दिये जाने वाले आवेदनपत्र, प्रतिलिपि तैयार करने का शुल्क, न्याय शुल्क, स्टाम्प शुल्क तथा उससे संबंधित छूटें

(माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक डी–4874 दिनॉक 11.09.2012 एवं ज्ञापन कमांक डी–5288 दिनॉक 06.10.2012 द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप जारी।)

भाग – 1

1. प्रतिलिपि पर देय शुल्कों के मध्य भिन्नता स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। प्रतिलिपियॉ प्राप्त करने हेतु पक्षकारों/अभिभाषकों द्वारा देय शुल्क को निम्नलिखित अनुसार विभाजित किया जा सकता है:–

   (अ) प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर देय न्याय शुल्क

   (ब) प्रतिलिपि तैयार करने हेतु लिया जाने वाला शुल्क

   (स) न्याय शुल्क जो न्यायालय में ऐसी प्रतिलिपि प्रस्तुत करने/प्रदर्शांकित करने हेतु, न्याय शुल्क अधिनियम 1870 की अनुसूची– एक के अनुच्छेद 6, 7, 8, 9 के अधीन अपेक्षित है।

   (द) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुसार ऐसे दस्तावेज जिनकी प्रति अथवा उद्धरण जिसे किसी लोक अधिकारी ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के प्रावधानों के अंर्तगत यह प्रमाणपत्र संलग्न किया है कि यह प्रति लोक दस्तावेज अथवा उद्धरण की सही प्रतिलिपि है और न्यायालय फीस अधिनियम के तहत पूर्व से प्रभार्य नहीं है।

भाग – 2

2. **शुल्क के भुगतान से छूटें –**

   (अ) सिविल मामलों में छूट

   (ब) आपराधिक मामलों में छूट

यह भी महत्वपूर्ण है कि धारा 6 न्याय शुल्क अधिनियम के अंर्तगत ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपियॉ जिन पर उचित न्यायशुल्क मुद्रांक चस्पा नहीं किये गये हैं, साक्ष्य में ग्राह्य नहीं की जा सकेंगी।

(अ) प्रतिलिपि के प्रार्थना पत्र पर देय न्यायालय फीस।

क्र.	प्रलेख की श्रेणी	प्रभार्य शुल्क	प्रावधान	टिप्पणी
1.	प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन	5/-	मध्य प्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961, नियम 476(1) एवं मध्यप्रदेश नियम एवं आदेश (आपराधिक) नियम 637 सहपठित न्यायालय फीस अधिनियम, 1970 की अनुसूची 2 अनुच्छेद 1(क)	एक आवेदन के अधीन केवल एक ही अभिलेख में से प्रतिलिपि की प्रार्थना की जा सकती है। यद्यपि एक आवेदन के अधीन एक ही अभिलेख में से प्रतिलिपियों की संख्या कोई भी हो सकती है। एक से अधिक अभिलेखों से प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
2.	अर्जेंट में प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन	10/-	मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961, नियम 478(1) एवं मध्यप्रदेश नियम एवं आदेश (आपराधिक) नियम 638(2) सहपठित न्यायालय फीस अधिनियम, 1970 की अनुसूची 2 अनुच्छेद 1 (ख)	ऐसा आवेदन प्रतिलिपि आवेदन के अतिरिक्त पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा प्रतिलिपि शीघ्र प्राप्त किये जाने के आधारों का वर्णन होना चाहिए।

(ब) प्रतिलिपि तैयार करने हेतु लगने वाला शुल्क।

क्र.	प्रतिलिपि तैयार किये जाने की रीति	शुल्क	प्रावधान	टिप्पणी
1.	फोटो कापी मशीन से अन्यथा (सिविल मामले में)	1/- प्रति पृष्ठ	मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 नियम 481(1)	शीघ्रता में चाही गई प्रतिलिपिके लिये यह शुल्क दोगुना होगा। मध्प्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 का नियम 478 एवं मध्यप्रदेश नियम एवं आदेश (आपराधिक), नियम 638 (2)
	(आपराधिक मामले में)	0.40 पैसा प्रति 240 शब्द या उसके भाग के लिए	मध्यप्रदेश नियम एवं आदेश (आपराधिक) नियम 641	
2.	फोटो कापी मशीन द्वारा	2/- प्रति पृष्ठ	मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 नियम 481 (1)	अर्जेंट मे यह शुल्क दोगुना होगा। मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 का नियम 478 एवं मध्यप्रदेश नियम एवं आदेश (आपराधिक), नियम 638(2)

नोटः- यदि प्रतिलिपि अनुभाग में फोटोकॉपी मशीन उपलब्ध कराई गई है, तो हाथ से प्रतिलिपि तैयार नहीं की जायेंगी। फोटोकापी से प्रतिलिपि तैयार करने का शुल्क सिविल एवं आपराधिक मामले में एक ही होगा।

(स)(i) न्याय शुल्क अधिनियम के तहत प्रभार शुल्क (सिविल मामले में)।

क्र.	प्रलेख की प्रकृति	प्रभार्य फीस	प्रावधान	टिप्पणी
1.	(अ) उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पारित (1) निर्णय (2) आदेश जिसे डिग्री का बल प्राप्त नहीं है, की प्रतिलिपि – (क) जब रकम या विषय वस्तु का मूल्य 50/– रू0 या उससे कम (ख) जब रकम या विषय वस्तु का मूल्य 50/– रू0 से अधिक है।	 5/– 10/–	मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 नियम 477 एवं 492 एवं न्याया. फीस अधि. 1870 अनु.1 के अनु.6	1. न्यायालय फीस मुद्रांको का शुल्क (अनुमानित) प्रतिलिपि आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
2	(अ) उच्च न्यायालय से भिन्न सिविल न्यायालय द्वारा पारित निम्नलिखित की प्रतिलिपि– (1) डिग्री या डिग्री का बल रखने वाला आदेश (क) जब सुसंगत वाद विषय वस्तु का मूल्य 50/– या कम है। (ख) जब सुसंगत वाद विषय वस्तु का मूल्य 50/– से अधिक है।	 5/– 10/–	मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 नियम 477 एवं 492 एवं न्याया. फीस अधि. 1870 अनु.1 के अनु.7	यथा पूर्वोक्त
3.	1. ऐसे न्यायिक कार्यवाही या आदेश की प्रतिलिपि, जिसके लिए न्यायालय फीस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है। 2. किसी सिविल या दाण्डिक न्यायालय या कार्यालय से (अ) किसी लेखा (ब) विवरण अथवा रिपोर्ट (स) ऐसे ही अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि।	प्रति तीन सौ साठ शब्दों या उनके भाग के लिए 5/–	मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 नियम 477 एवं 492 एवं न्याया. फीस अधि 1870 अनु.1 के अनु. 9	इसमें वे समस्त मामले आते हैं जो उपरोक्त कॉलम में वर्णित नहीं है। कार्यालय अथवा न्यायालय का विवरण अथवा रिपोर्ट जैसे– जांच रिपोर्ट इत्यादि या ऐसे दस्तावेज जिनका उपरोक्त कॉलम में प्रावधान नहीं है।
4.	भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अधीन स्टाम्प शुल्क के लिए दावी किसी दस्तावेज की प्रतिलिपि जब वह वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा वापस लिए गये मूल के स्थान पर छोड़ी जाये।	(क) जबकि मूल पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क 50 पैसे से अधिक नहीं है :– **मूल पर प्रभार्य शुल्क की रकम** (ख) किसी अन्य दशा में :– **5/–रूपये**	न्याया. शुल्क अधि. की अनुसूची –1 के अनु. 8	

(स) (ii) न्यायशुल्क अधिनियम के अधीन प्रभार शुल्क (आपराधिक मामले में।)।

क्र.	प्रलेख की प्रकृति	प्रभार्य फीस	प्रावधान	टिप्पणी
1.	1. ऐसे न्यायिक कार्यवाही या आदेश की प्रतिलिपि, जिसके लिए न्यायालय फीस अधि. द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है। 2. किसी सिविल या दाण्डिक न्यायालय या कार्यालय से (अ) किसी लेखा (ब) विवरण अथवा रिपोर्ट (स) ऐसे ही अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि।	प्रति तीन सौ साठ शब्दों या उनके भाग के लिए 5/–	मध्यप्रदेश आपराधिक न्यायालय नियम, 1961 नियम 638 एवं मध्यप्रदेश फीस अधिनियम की अनुसूची–1, अनुच्छेद–9	1. आपराधिक मामलों की निर्णय, आदेश, रिपोर्ट विवरण लेखा एवं अन्य ऐसा कोई दस्तावेज जिसका कि प्रावधान न्यायालय शुल्क अधिनियम में नहीं है पर कॉलम नं.2 में वर्णितानुसार न्यायशुल्क प्रभार्य होगी।
2.	भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अधीन स्टाम्प शुल्क के लिए दायी किसी दस्तावेज की प्रतिलिपि जब वह वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा वापस लिए गये मूल के स्थान पर छोड़ी जाये।	(क) जबकि मूल पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क 50 पैसे से अधिक नहीं है :– **मूल पर प्रभार्य शुल्क की रकम** **(ख) किसी अन्य दशा में :– 5/–रूपये**	न्याया. शुल्क अधि. की अनुसूची –1 के अनु. 8	

(द) भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार प्रतिलिपि एवं उद्धरण पर देय शुल्क

क्र.	प्रलेख की प्रकृति	प्रभार्य फीस	प्रावधान	टिप्पणी
1.	प्रति अथवा उद्धरण, जिसके बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 में किसी लोक अधिकारी या उसके आदेश से यह प्रमाणित किया जाता है कि वह सही प्रति या उद्धरण्सा है और जो न्यायालय फीस अधिनियम से संबंधित तत्समय प्रवृत विधि के अधीन शुल्क से प्रभार्य नहीं है।	10/–	भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1(क) के अनुच्छेद 23 एवं मध्य प्रदेश सिविल अधिनियम 477 एवं 490 तथा मध्य प्रदेश नियम (आपराधिक) 638	1. इसमें किसी रजिस्टर की प्रति जैसे दायरा पंजी, बोर्ड डायरी इत्यादि आते है। 2. इसमें प्रभार्य शुल्क न्यायोत्तर स्टाम्प होता है परन्तु म.प्र. स्टाम्प नियम 1942 का नियम 13 के अनुसार चिपकने योग्य स्टाम्प देय है तथा नियम 18 (ई) के अनुसार स्टाम्प की प्रकृति "न्याय शुल्क" स्टाम्प होगा। 3. ऐसे मामले में 10/– रूपये का अतिरिक्त प्रभार्य लिया जावेगा और दस्तावेजों पर 10/– रू. का स्टाम्प (न्याय शुल्क स्टाम्प) चस्पा किया जावेगा।

सिविल मामलों के अभिलेखों की प्रतिलिपि पर प्रदत्त छूटें।

क्र.	प्रलेख की श्रेणी	किस शुल्क से छूट प्राप्त है	किस शुल्क से छूट प्राप्त नहीं है	प्रावधान	टिप्पणी
1.	सिविल न्यायालय द्वारा आवेदक के व्यक्तिगत उपयोग हेतु दी गई प्रतिलिपि	न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद 6, 7 एवं 9 के अधीन प्रभार्य **न्यायालय फीस**	(1) आवेदन पर देय न्यायशुल्क (2) प्रतिलिपि तैयार किये जाने हेतु शुल्क।	मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 नियम 431 (7)	ऐसी प्रतिलिपि किसी न्यायालय में तब तक प्रस्तुत/प्रदर्शित/अभिलिखित नहीं की जा सकती है जब तक कि उस पर यह न्यायालय फीस चस्पा नहीं कर दी जाती।
2.	जब किसी न्यायालय में प्रस्तुत प्रलेखों की वापसी हेतु मूल प्रलेखों के स्थान पर उनकी प्रतिलिपि प्रस्तुत किये जाने के प्रयोजन से ऐसे दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है।	प्रतिलिपि के आवेदन पत्र पर अनुसूची 1 के अनुच्छेद 1 (अ) की न्याय शुल्क	(1) प्रतिलिपि तैयार किये जाने हेतु शुल्क। (2)न्यायशुल्क अधि.1870 की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 8 के तहत यदि दस्तावेज पर कोई न्यायशुल्क प्रभार है।	मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 नियम 431 (17) एव नियम 337 की टिप्पणी	
3.	जहां प्रतिलिपि केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधिकारियों को सरकारी प्रयोजन हेतु (जिसमें किसी न्यायालय में मामले का संचालन सम्मिलित नहीं है।) प्रदान की जाती है।	प्रतिलिपि तैयार किये जाने हेतु या प्रतिलिपि तैयार करने का शुल्क	(1) आवेदन पर न्याय शुल्क देय होगा। (2) न्याय शुल्क अधिनियम के अनुसूची–1 के अधीन यदि किसी दस्तावेज पर अनु.6, 7, 9 की यदि कोई शुल्क प्रभार्य है।	मध्यप्रदेश न्यायालय नियम सिविल 481(1)	
4.	जहां प्रतिलिपि केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधिकारियों को किसी भी निर्णय या साक्षियों की साक्ष्य या दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपियां शासकीय कार्य के लिए मांग की जाती है।	(1) प्रतिलिपि तैयार किये जाने हेतु या प्रतिलिपि तैयार करने का शुल्क (2) आवेदन पर देय न्याय शुल्क (3) न्याय शुल्क अधिनियम के अनुसूची–1 के अधीन यदि किसी दस्तावेज पर अनु.6, 7, 9 की यदि कोई शुल्क प्रभार्य है।		ज्ञापन क्र. 8686/तीन–3–3/74, जबलपुर, दिनांक 13 मई, 1977	

आपराधिक मामलों के अभिलेखों की प्रतिलिपि पर प्रदत्त छूटें।

क्र.	प्रलेख की श्रेणी	किस शुल्क से छूट प्राप्त है	किस शुल्क से छूट प्राप्त नहीं है	प्रावधान	टिप्पणी
1	दंड न्यायालय द्वारा आवेदक के व्यक्तिगत उपयोग हेतु दी गई प्रतिलिपि	न्यायालय फीस अधि. 1870 की अनूसची–1 के अनुच्छेद–9 के अधीन प्रभार्य **न्यायालय फीस**	(1) आवेदन पर देय न्यायशुल्क (2) प्रतिलिपि तैयार किये जाने हेतु शुल्क	मध्यप्रदेश नियम एवं आदेश (आपराधिक) नियम 550(7)	ऐसी प्रतिलिपि किसी न्यायालय में तब तक प्रस्तुत / प्रदर्शित / अभिलिखित नहीं की जा सकती जब तक कि उस पर यह न्यायालय फीस वसूल नहीं कर दी जाती है।
2.	अपील करने हेतु अभियुक्त के आवेदन पर निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं उसका अनुवाद जबकि ऐसी प्रतिलिपि द.प्र.सं. की धारा 363(2) के अधीन देय हो।	1. न्यायालय फीस अधि. 1870 की अनूसची–1 के अनुच्छेद–9 के अधीन प्रभार्य **न्यायालय फीस** 2. ऐसी प्रतिलिपि के प्रार्थना पत्र पर देय न्यायालय फीस 3. **प्रतिलिपि तैयार किये जाने हेतु** अथवा प्रतिलिपि तैयार करने हेतु देय शुल्क	निरंक	1. मध्यप्रदेश नियम एवं आदेश (आपराधिक) नियम 550(13)(ग) 2. मध्यप्रदेश नियम एवं आदेश (आपराधिक) नियम 550(16) 3. मध्यप्रदेश नियम एवं आदेश (आपराधिक) नियम 551 एवं दं.प्र.सं. की धारा 363 (2)	ऐसी छूट अपील न्यायालयों के निर्णयों पर भी लागू होगी। देखिये– मध्यप्रदेश नियम एवं आदेश (आपराधिक) नियम 552
3.	भरण–पोषण के आदेश की प्रतिलिपि जबकि वह आवेदक को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 128 के अधीन दी जाती है।	1. न्यायालय फीस अधि. 1870 की अनूसची–1 के अनुच्छेद–9 के अधीन प्रभार्य न्यायालय फीस 2. ऐसी प्रतिलिपि के प्रार्थना पत्र पर देय न्यायालय फीस	प्रतिलिपि तैयार किये जाने हेतु देय शुल्क	1. मध्यप्रदेश नियम एवं आदेश (आपराधिक) नियम 550(13)(ड़) 2. मध्यप्रदेश नियम एवं आदेश (आपराधिक) नियम 550(16)	
4.	आपराधिक न्यायालय के निर्णय या आदेश से प्रभावित व्यक्ति को किसी आदेश अभिसाक्ष्य (न्यायालीन कथन) या ऐसे अभिलेख के किसी	1. न्यायालय फीस अधि. 1870 की अनूसची–1 के अनुच्छेद–9 के अधीन प्रभार्य **न्यायालय फीस**	प्रतिलिपि तैयार किये जाने हेतु देय शुल्क	1. मध्यप्रदेश नियम एवं आदेश (आपराधिक) नियम 550(13)(च) एवं दंड प्रक्रिया संहिता, 1973	

क्र.	प्रलेख की श्रेणी	किस शुल्क से छूट प्राप्त है	किस शुल्क से छूट प्राप्त नहीं है	प्रावधान	टिप्पणी
	भाग की प्रतिलिपि जबकि ऐसी प्रतिलिपि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 363(5) के अधीन आवेदन करने पर न्यायाधीश/ मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट कारण से, जो कि ऐसी प्रतिलिपि पर अभिलिखित किये जाऐगे, बिना भुगतान के प्रदान करना उचित समझता है।	2. ऐसी प्रतिलिपि के प्रार्थना पत्र पर देय न्यायशुल्क		की धारा 363(5) का परंतुक 2. मध्यप्रदेश नियम एवं आदेश (आपराधिक) नियम 550(16)	
5.	उन समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियां जो न्यायालय या मजिस्ट्रेट के आदेश से महाधिवक्ता, लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, प्राईवेट अधिवक्ता या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी को राज्य की ओर से किसी **आपराधिक न्यायालय के समक्ष विचारण या अनवेषण के संचालन हेतु प्रदान की जाती है।**	1. न्यायालय फीस अधि. 1870 की अनूसची–1 के अनुच्छेद–9 के अधीन प्रभार्य **न्याय शुल्क** 2. ऐसी प्रतिलिपि के प्रार्थना पत्र पर देय न्याय शुल्क 3. प्रतिलिपि तैयार किये जाने हेतु देय शुल्क पर कोई छूट प्राप्त नहीं है।	निरंक	1. मध्यप्रदेश नियम एवं आदेश (आपराधिक) नियम 550(13)(छ) एवं दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 363(5) का परंतुक 2. मध्यप्रदेश नियम एवं आदेश (आपराधिक) नियम 550(16) 3. म.प्र. नियम एवं आदेश (आपराधिक) 641	
6.	ऐसे दस्तावेजों की प्रतिलिपियां जो ऐसे किसी विचारण या अनुसंधान के संबंध में किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट या ऐसी आपराधिक कार्यवाही के संबंध में राज्य को परामर्श देने के उद्देश्य से महाधिवक्ता, लोक अभियोजक, विधि व्यवसायी या अन्य व्यक्ति को प्रदान की जाती है।	1. न्यायालय फीस अधि. 1870 की अनूसची–1 के अनुच्छेद–9 के अधीन प्रभार्य **न्यायशुल्क** 2. ऐसी प्रतिलिपि के प्रार्थना पत्र पर देय न्यायशुल्क 3. प्रतिलिपि तैयार किये जाने हेतु देय शुल्क	निरंक	1. मध्यप्रदेश नियम एवं आदेश (आपराधिक) नियम 550(13)(ज) एवं दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 363(5) का परंतुक 2. मध्यप्रदेश नियम एवं आदेश (आपराधिक) नियम 550(16) एवं नियम 641	
7.	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा शासकीय प्रयोजन हेतु वांछित प्रतिलिपि।	1. प्रतिलिपि तैयार किये जाने हेतु देय शुल्क	1. आवेदन पर प्रभार्य शुल्क 2. न्यायालय फीस अधिनियम के अनुच्छेद–9।		

क्र.	प्रलेख की श्रेणी	किस शुल्क से छूट प्राप्त है	किस शुल्क से छूट प्राप्त नहीं है	प्रावधान	टिप्पणी
8	वारन्ट मामलों में सभी अभियुक्तों को एवं सांमंस मामलों में सभी विचाराधीन अभियुक्तों को निर्णय की प्रतिलिपि	प्रतिलिपि तैयार किये जाने हेतु देय शुल्क	1. आवेदन पर प्रभार्य शुल्क 2. न्यायशुल्क। अधिनियम के अनुसूची 1 के अनुच्छेद 9 से म0प्र0 नियम एवं आदेश (अपराधिक) 641 ख।	म.प्र. नियम एवं आदेश (आपराधिक) 641	इस उपबंध में द.प्र.सं. की धारा 363 (2) एवं 363(5) से भिन्न मामलें आते हैं।
9.	निर्णय या न्यायालयीन कथनों की प्रतिलिपियां जो कि पुलिस विभाग के अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के अनुक्रम में अपेक्षित है।	1. न्यायालय फीस अधि. 1870 की अनूसची–1 के अनुच्छेद–9 के अधीन प्रभार्य **न्यायशुल्क** 2. ऐसी प्रतिलिपि के प्रार्थना पत्र पर देय न्यायशुल्क	प्रतिलिपि तैयार किये जाने हेतु देय शुल्क।	1. मध्यप्रदेश नियम एवं आदेश (आपराधिक) नियम 550(13)(झ) एवं दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 363(5) का परंतुक 2. मध्यप्रदेश नियम एवं आदेश (आपराधिक) नियम 550(16)	
10.	निर्धन अभियुक्तों की प्रतिरक्षा हेतु न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को प्रदान की जाने वाली प्रतिलिपियां तथा द.प्र.सं. की धारा 161 के कथनों की प्रतिलिपियां जो कि मृत्यु से दण्डित अपराध के मामले में ऐसे निर्धन अभियुक्तों को प्रदान की जाती है।	1. न्यायालय फीस अधि. 1870 की अनूसची–1 के अनुच्छेद–9 के अधीन प्रभार्य **न्यायशुल्क**	1. प्रतिलिपि तैयार किये जाने हेतु देय शुल्क। 2. आवेदन पर प्रभार शुल्क।	1. मध्यप्रदेश नियम एवं आदेश (आपराधिक) नियम 550(27)	
11.	(अ) शासन की ओर से शासकीय कार्य के लिये केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकार का कोई भी अधिकारी या लोक अभियोजक आदि किसी भी निर्णय या साक्षी की साक्ष्य या दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपियां निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। (ब) अपील के लिये निर्णय की सत्य प्रतिलिपि	(1) आवेदन पर देय शुल्क (2) प्रतिलिपि तैयार किये जाने हेतु देय शुल्क (3) न्यायालय शुल्क अधि. की अनुसूची–1 के अनुसार 6, 7 एवं 9 के अनुसार देय शुल्क	1. आवेदन शुल्क।	माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 8686/तीन–3–3/74 दिनॉक 13.05.77	(क) अपील के लिये निर्णय की एक ही सत्य प्रतिलिपि देना चाहिये व इसका नोट ऑर्डर शीट के पार्श्व में कर देना चाहिये जिससे दूसरी बार आवेदन आने पर उसके औचित्य पर विचार कर